अनुदान संख्या 82 - राज्य सभा
GRANT No. 82 - RAJYA SABHA

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*1,21,00*	*1,96,00*	*1,73,72*	*-22,28*
पूरक	*Supplementary*	*75,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*22,27*
स्वीकृत–	Voted-		429,75,00	381,78,60	-47,96,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				47,60,71

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* भाग में, समग्र बचतें (*₹22.28 लाख*) दिसम्बर, 2022 में प्राप्त *₹75.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 30 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 11 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, the overall savings (*₹ 22.28 lakhs*) constituted 30 percent of the supplementary *appropriation* of *₹75.00 lakhs* obtained in December, 2022 and 11 percent of the total sanctioned *appropriation.*

2. In the voted portion of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2011”	Major Head “2011”				
संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	Parliament, State/Union Territory Legislatures				
मू.	O.	42975.00	38214.29	38178.60	-35.69
पु.	R.	-4760.71			

(I) ₹22.03 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "संसद" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "राज्य सभा – सदस्य" – ₹987.55 लाख की बचत (₹11851.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सांसदों के सेवानिवृत होने, कम चिकित्सा बिल प्राप्त होने, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा वहन किए जा रहे अध्ययन दौरों के व्यय और रेल मंत्रालय के पूर्व–सदस्य के कम डेबिट दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "राज्य सभा सचिवालय" –

(क) "सचिवालय" – ₹1988.47 लाख की बचत (₹26147.22 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दिहाड़ी मजदूरों को लगाए जाने, भर्ती परीक्षा आयोजित न किए जाने, खाद्य सब्सिडी जारी न रखने, विशेष प्रोत्साहन स्कीम के कम दावों की प्राप्ति और उपकरणों और सॉफ्टवेयर प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "संसद टेलीविजन चैनल" – ₹1677.23 लाख की बचत (₹4260.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेशेवरों/परामर्शदाताओं के कार्यमुक्त/त्याग पत्र दिए जाने, उच्च मूल्य की वस्तुओं का अधिग्रहण न किए जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹22.03 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) Under "Parliament" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Rajya Sabha - Members" - saving of ₹987.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11851.00 lakhs) was due to retirement of MP's, receipt of less medical claims, study tours expenses being borne by the concerned Ministries/Departments and receipt of less debit claims of ex-member from Ministry of Railways.

(B) "Rajya Sabha Secretariat" -

(a) "Secretariat" - saving of ₹1988.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26147.22 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, engagement of fewer casual labourers, non-conduction of recruitment examination, discontinuation of food subsidy, receipt of less claims of Special Incentive Scheme and non-procurement of equipments and software.

(b) "Sansad TV Channel" - saving of ₹1677.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4260.50 lakhs) was due to relieving/resignation of professionals/consultants, non-acquisition of high value items and less tours undertaken.